अध्याय–1
सामान्य

अध्याय–1: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में करों के लंबित बकायों के विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 बिहार सरकार के पिछले पाँच वर्षों के कर एवं कर–भिन्न प्राप्तियों का विवरण **तालिका–1.1** में वर्णित है।

तालिका–1.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.	**राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,253.08	19,960.68	20,750.23	25,449.18	23,742.26
	• कर–भिन्न राजस्व	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64	2,403.11
	कुल	**17,388.35**	**21,505.51**	**22,308.21**	**27,634.82**	**26,145.37**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	31,900.39	34,829.11	36,963.07	48,922.68	58,880.59[1]
	• सहायता अनुदान	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60	20,559.02
	कुल	**42,178.31**	**47,413.14**	**56,109.33**	**68,488.28**	**79,439.61**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**59,566.66**	**68,918.65**	**78,417.54**	**96,123.10**	**1,05,584.98**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**29**	**31**	**28**	**29**	**25**
5.	**कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता**	**27**	**29**	**26**	**26**	**22**

(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन (2015–16 से) के पश्चात् केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

---

1 पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष–वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020 निगम कर (₹ 18,889.20 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 13,128.06 करोड़), 0032–सम्पत्ति पर कर (₹ 43.24 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 8,125.40 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 9,278.51 करोड़) तथा 0044–सेवा कर (₹ 9,416.01 करोड़) तथा 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.17 करोड़) के अंतर्गत लघु शीर्ष 901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े।

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2016–17 में कर राजस्व में ह्रास एवं कुल राजस्व में कर राजस्व के हिस्से में उल्लेखनीय ह्रास का प्राथमिक कारण अप्रैल 2016 से बिहार में शराब का निषेध एवं 8 नवम्बर 2016 की विमुद्रीकरण के पश्चात् मुद्रांक तथा निबंधन फीस के प्राप्तियों में उल्लेखनीय कमी थी।

राज्य के राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.1** में दिया गया है:

चार्ट 1.1
राज्य के राजस्व का ब्योरा

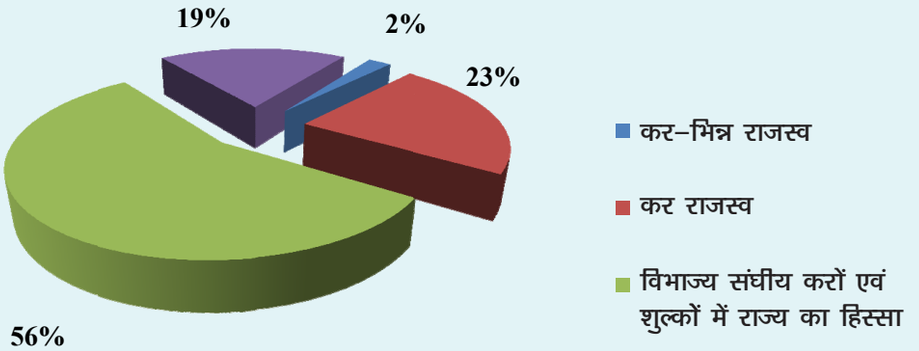

1.2.2 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण **तालिका–1.2** में दिया गया है।

तालिका–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	निम्न की तुलना में वर्ष 2016–17 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2016–17 के बजट अनुमान	2015–16 की वास्तविकी
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,071.00 8,670.79	12,324.04 8,453.02	12,820.15 8,607.16	16,025.18 10,603.40	14,021.33 11,873.51	(–) 15.32	(+) 11.98
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,800.00 1,932.12	1,192.75 4,349.00	4,117.50 4,451.25	5,146.88 6,087.12	7,211.96 6,245.62	(–) 13.40	(+) 2.60
3.	राज्य उत्पाद	2,715.00 2,429.82	3,300.00 3,167.72	3,700.00 3,216.58	4,000.00 3,141.75	2,100.00 29.66	(–) 98.59	(–) 99.06
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,906.00 2,173.02	3,200.00 2,712.41	3,600.00 2,699.49	4,000.00 3,408.57	3,800.00 2,981.95	(–) 21.53	(–) 12.52
5.	वाहनों पर कर	644.40 673.39	800.00 837.48	1,000.00 963.56	1,200.00 1,081.22	1,500.00 1,256.67	(–) 16.22	(+) 16.23
6.	भू–राजस्व	185.00 205.45	205.00 201.71	250.00 277.13	300.00 695.15	330.00 971.12	(+) 194.28	(+) 39.70
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.70 102.55	66.17 141.31	82.70 374.76	102.50 297.99	590.04 223.90	(–) 62.05	(–) 24.86

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	निम्न की तुलना में वर्ष 2016–17 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2016–17 के बजट अनुमान	2015–16 की वास्तविकी
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	41.99 28.99	34.14 50.43	48.59 105.34	45.43 69.36	88.90 81.08	(–) 8.80	(+) 16.90
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	31.00 36.95	32.59 47.60	44.00 54.96	55.00 64.55	88.03 78.75	(–) 10.54	(+) 22.00
कुल		**16,455.09** **16,253.08**	**21,154.69** **19,960.68**	**25,662.94** **20,750.23**	**30,874.99** **25,449.11**	**29,730.26** **23,742.26**	**(–) 20.14**	**(–) 6.71**

{(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

राज्य के कर राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.2** में दिया गया है।

चार्ट 1.2

2016–17 के कर राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

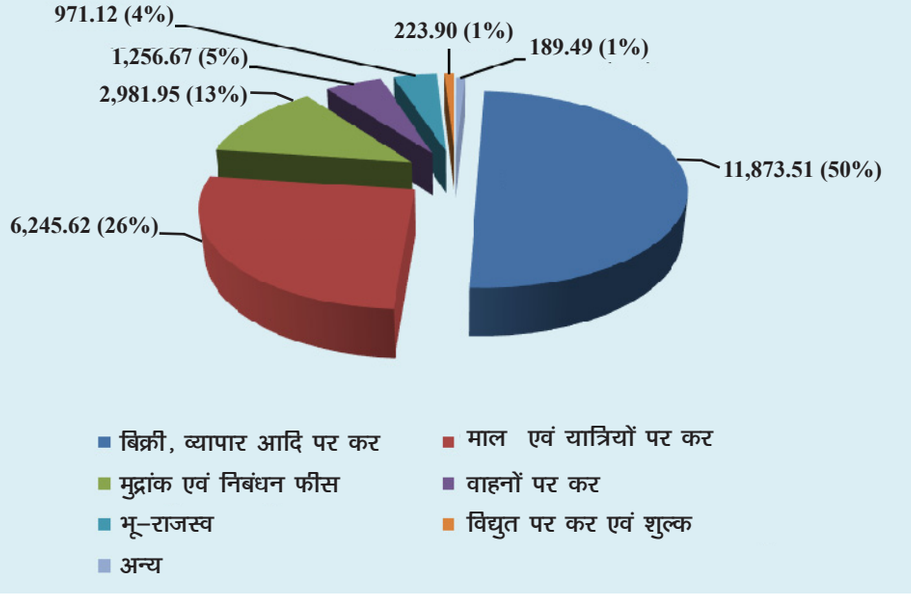

उपर्युक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करः लेखापरीक्षा ने वैल्यू ऐडेड टैक्स मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (वैटमिस) के अवलोकन से पाया कि 2015–16 से 2016–17 में सुखे मेवे, ऑटो पार्ट्स, नमकीन, बैट्री, बालू एवं विद्युत सामग्रियों के राजस्व में 24.32 प्रतिशत से 277.89 प्रतिशत की ठोस वृद्धि (₹ 429.39 करोड़) का मुख्य कारण इन वस्तुओं की कर दरों को 2015–16 में पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर 2016–17 में 13.5 प्रतिशत किया जाना था।

माल एवं यात्रियों पर करः लेखापरीक्षा ने वैटमिस में पाया कि विद्युत सामग्रियों से राजस्व में 27.54 प्रतिशत की ठोस वृद्धि (₹ 205.52 करोड़) हुई जहाँ प्रवेश कर की दर आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गयी थी।

राज्य उत्पादः अप्रैल 2016 से शराबबंदी नीति के कार्यान्वयन के कारण बजट अनुमान में कमी (98.59 प्रतिशत) हुई। प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग के संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच से यह उद्घटित हुआ कि आरंभ में ₹ 2,100 करोड़ का बजट अनुमान निर्धारित किया गया था जो कि प्रशासी विभाग के इस अनुरोध, कि शराब बंदी को ध्यान में रखते हुये पुनरीक्षित बजट अनुमान को शून्य किया जाए, के बावजूद वित्त विभाग द्वारा ₹ 46.40 करोड़ पुनरीक्षित किया गया।

भू–राजस्वः 2015–16 के वास्तविकी (39.70 प्रतिशत) तथा 2016–17 के बजट अनुमान से (194.28 प्रतिशत) वृद्धि का कारण वर्ष के दौरान अधियाची प्राधिकारियों, जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, से स्थापना प्रभार की वसूली एवं विद्युत बोर्ड एवं अन्य कंपनियों से हस्तांतरित भूमि के लागत मूल्य की वसूली थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग ने सरकारी भूमि के हस्तांतरण एवं भूमि अधिग्रहण के दौरान स्थापना प्रभार से होने वाले प्राप्तियों को 2015–16 एवं 2016–17 के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय विचार नहीं किया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीसः निबंधन विभाग में संचिकाओं के लेखापरीक्षा जाँच से उद्घटित हुआ कि विमुद्रीकरण (8 नवम्बर 2016) के पश्चात् निबंधित प्रलेखों की संख्या में कमी के कारण वास्तविक प्राप्तियों में लक्ष्य से 36.67 प्रतिशत (₹ 663.65 करोड़) की कमी हुई।

1.2.3 2012–13 से 2016–17 के अवधि के दौरान किए गए बजट अनुमान एवं उद्ग्रहीत कर–भिन्न राजस्व **तालिका–1.3** में वर्णित हैं।

तालिका–1.3
कर–भिन्न राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	निम्न की तुलना में वर्ष 2016–17 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2016–17 के बजट अनुमान	2015–16 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	470.00 511.08	641.00 569.14	750.00 879.87	1,000.00 971.34	1,100.00 997.60	(–) 9.31	(+) 2.70
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	263.74 167.12	338.48 269.48	202.22 344.77	312.13 583.66	365.78 939.91	(+) 156.96	(+) 61.04
3.	पुलिस	67.83 25.01	70.59 27.27	69.74 29.50	28.93 66.05	31.74 42.16	(+) 32.83	(–) 36.17
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.56 10.01	65.01 10.18	251.60 21.77	51.25 72.61	23.35 99.88	(+) 327.75	(+) 37.56

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	निम्न की तुलना में वर्ष 2016–17 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2016–17 के बजट अनुमान	2015–16 की वास्तविकी
5.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ[2]	2,268.24 422.05	2,279.76 668.26	1,797.93 282.07	1,988.80 491.98	819.87 323.56	(–) 60.54	(–) 34.23
कुल		**1,135.27**	**1,544.83**	**1,557.98**	**2,185.64**	**2,403.11**		**(+) 9.95**

(स्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत) के अनुसार बजट अनुमान)

राज्य के कर–भिन्न राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.3** में दिया गया है:

चार्ट 1.3

2016–17 के कर–भिन्न राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

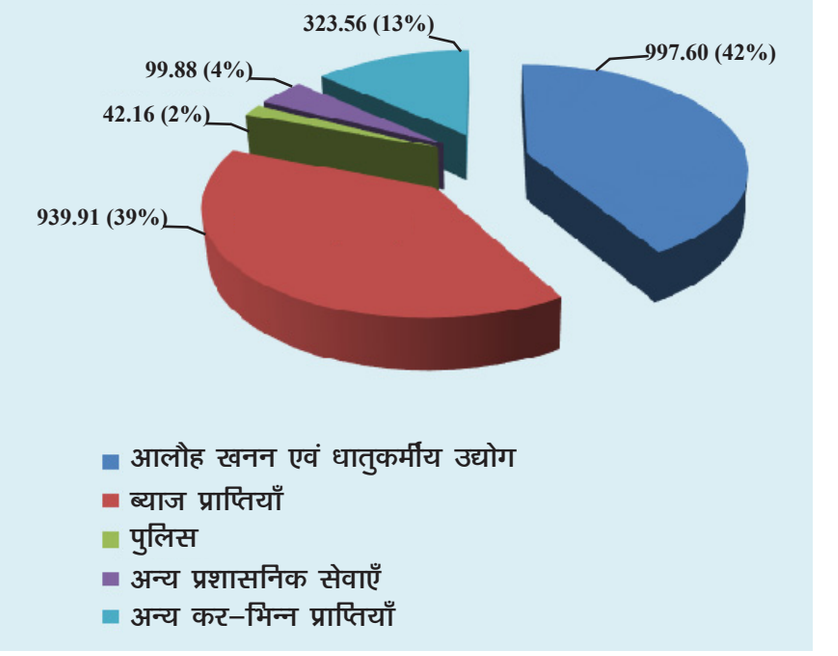

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के विश्लेषण से लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पत्थर के खदानों की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने एवं ईंट भट्ठों तथा

[2] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में 2016–17 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ 41.93 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 39.94 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 35.66 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 27.69 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 17.09 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 16.31 करोड़), अन्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 15.69 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 14.94 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 14.38 करोड़), वृहत् सिंचाई (₹ 13.69 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 11.65 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 1.41 करोड़), जेल (₹ 10.35 करोड़), मत्स्य पालन (₹ 10.42 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 6.30 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 3.46 करोड़), आवास (₹ 2.45 करोड़), शहरी विकास (0.71 करोड़), सूचना तथा प्रचार (0.29 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.21 करोड़), पशुपालन (₹ 0.80 करोड़), सहकारिता (₹ 6.80 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.18 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 2.89 करोड़), नागर विमानन (₹ 4.03 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.19 करोड़), पर्यटन (₹ 1.57 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.04 करोड़), उद्योग (₹ 0.09 करोड़) एवं सिविल आपूर्ति (₹ 0.07 करोड़)।

कार्य प्रमंडलों से आशानुरूप रॉयल्टी की वसूली नहीं होने के कारण वर्ष 2013–14, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान बजट अनुमानों को हासिल नहीं किया जा सका। ईंट भट्ठों से राजस्व में कमी पर इस प्रतिवेदन के कंडिका 6.2.15.3 में चर्चा किया गया है।

ब्याज प्राप्तियाँ: बजट प्राक्कलन, वास्तविक आकलन पर आधारित नहीं थे जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2015–16 में ₹ 583.66 करोड़ की वास्तविक ब्याज प्राप्तियों के बावजूद 2016–17 का प्राक्कलन ₹ 365.78 करोड़ था, जिसके कारण वर्ष 2016–17 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य बड़ा अंतर (156.96 प्रतिशत) हुआ।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ: 2012–17 के दौरान बजट प्राक्कलन से वास्तविक प्राप्तियों के बीच बड़ा अंतर यह इंगित करता है कि प्राक्कलन वास्तविक आकलन पर आधारित नहीं थे। इसके अतिरिक्त 2014–15 के दौरान चुनाव मद में प्राप्त होने वाली राशि 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान प्राप्त हुई जिसके कारण वास्तविक प्राप्तियों में अंतर हुआ।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ: वर्ष 2012–17 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों में बड़ा अंतर का कारण बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार प्रत्येक वर्ष बिहार द्वारा बजट प्राक्कलन बनाने के बावजूद झारखंड से पेंशन देनदारियों की प्राप्ति नहीं होना था।

1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को बकाया राजस्व ₹ 6,327.12 करोड़ था, जिसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, जिनका ब्योरा **तालिका–1.4** में वर्णित है।

तालिका–1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2017 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	लम्बन की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,113.62	547.03	₹ 3,113.62 करोड़ में से ₹ 307.77 करोड़ की मांग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 672.95 करोड़ एवं ₹ 61.55 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 0.80 करोड़ कर–निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 7.01 करोड़ की माफी होने वाली थी एवं ₹ 2,063.54 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,500.38	11.22	₹ 2,500.38 करोड़ में से ₹ 0.62 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 2,168.40 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 331.36 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	61.91	2.23	₹ 61.91 करोड़ में से ₹ 20.73 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 41.18 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2017 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	लम्बन की अवस्थाएँ
4.	वाहनों पर कर	184.88	–	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। ₹ 184.88 करोड़ के बकायों के वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.10	8.31	₹ 8.36 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 0.02 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.72 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू–राजस्व	117.73	34.15	₹ 34.15 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचित नहीं किया कि संग्रहण के लिए बकाये किन अवस्थाओं में लंबित थे।
7.	राज्य उत्पाद	66.96	23.29	₹ 50.90 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 4.86 करोड़ एवं ₹ 0.40 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा विभाग द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 2.38 करोड़ कर–निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 0.35 करोड़ बट्टे खाते में डाले जाने वाले थे तथा ₹ 8.07 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
8.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	271.54	175.52	₹ 271.54 करोड़ के कुल बकाये की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे।
कुल		**6,327.12**	**801.75**	

(स्रोतः विभागों से सूचनाएँ)

क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात विभागों ने विभिन्न अवस्थाओं में लंबित बकायों को सूचित किया था, परन्तु लंबित बकायों से संबंधित विशिष्ट अभिलेखों को, जाँच हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः यह पाया गया कि विभाग बकायों के संग्रहण की प्रगति का अनुश्रवण करने में विफल रहा चूँकि उनके पास लंबित बकायों का डेटाबेस नहीं है।

अनुशंसाः

विभागों को आवधिक समीक्षा तथा बकायों के परिसमापन के लिए लंबित बकायों का एक डेटाबेस बनाना चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन–संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के मैनुअल (1998) की शर्तों के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचार के लिए सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, विधान मंडल के समक्ष जनवरी 2013 तथा मार्च 2017 के बीच उपस्थापित 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 तथा 2016 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 204 कंडिकाओं (निष्पादन

लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को ही जमा करने में औसतन दो माह का विलंब पाया गया। विभिन्न विभागों[3] से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के लंबित होने का वर्णन **तालिका–1.5** में दिया गया है।

तालिका–1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1.	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	36	2
2.	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	38	3
3.	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	30	14
4.	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	29	10
5.	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	0	42
कुल			**204**	**133**	**71**

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू किया था, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 11 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15) में समाहित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 12 उप–कंडिकाओं सहित नौ कंडिकाओं पर 19 अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं (मई 2018)।

अनुशंसाः

राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और उसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है।

2008–09 से 2016–17 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि जून 2017 के अन्त तक 2,426 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 20,034 कंडिकाएँ लंबित थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 17,563.67 करोड़ तक है जबकि राज्य का सम्पूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 26,145.37 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन **तालिका–1.6** में दिया गया है।

[3] वाणिज्य–कर (47 कंडिकाएँ); मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (7 कंडिकाएँ); परिवहन (7 कंडिकाएँ); राजस्व एवं भूमि सुधार (5 कंडिकाएँ) तथा खान एवं भूतत्व (5 कंडिकाएँ)।

तालिका–1.6
विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	377	8,648	10,290.72
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	338	1,549	1,119.99
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	680	4,147	2,447.46
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	365	2,665	1,390.31
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	329	961	254.29
6.	खान एवं भूतत्व	खनिज प्राप्तियाँ	337	2,064	2,060.90
कुल			**2,426**	**20,034**	**17,563.67**

यहाँ तक कि 2008–09 से आगे निर्गत किए गए, ₹ 7,197.52 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,173 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, जो कि कार्यालयों के प्रधानों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, नहीं प्राप्त हुए। विभाग–वार विवरण **तालिका–1.7** में दिया गया है।

तालिका–1.7
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	116	3,692	3,384.22
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	82	465	224.76
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	459	2,864	1,747.13
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	251	1,754	851.90
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	108	320	65.85
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	157	1,076	923.66
कुल			**1,173**	**10,171**	**7,197.52**

अनुशंसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का जल्द निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा के साथ घनिष्ठता से कार्य करे, एक प्रक्रिया आरंभ कर सकती है।

1.6 वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार सरकार जिसके प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं, संबंधित प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना पत्रों तथा लेखापरीक्षा दलों की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करता है।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग में मानवबल की स्थिति (31 मार्च 2018 को) **तालिका–1.8** में दिया गया है।

तालिका–1.8

वित्त (अंकेक्षण) विभाग में मानवबल की स्थिति

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत में)
अंकेक्षक	289	41	248 (85.81)
वरीय अंकेक्षक-II	144	79	65 (45.14)
वरीय अंकेक्षक-I	49	41	8 (16.33)
उप लेखा नियंत्रक	23	2	21 (91.30)
लेखा नियंत्रक	7	0	7 (100)

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 2012–17 के दौरान राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों के 1,186 इकाइयों[4] में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 52 इकाइयों, निबंधन विभाग की छः इकाइयों और उत्पाद विभाग की एक इकाई का लेखापरीक्षा किया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने, विभिन्न संवर्गों में 31 मार्च 2018 तक मानवबल में 16.33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की भारी कमी के कारण, कोई भी अन्य राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों जैसे वाणिज्य–कर विभाग, परिवहन विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग की लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं किया।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को प्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वित्त (अंकेक्षण) विभाग के विभिन्न संवर्गों की रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

महालेखाकार ने वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के छः विभागों, वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व और खनिज प्राप्तियों के 1,186 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 289 (24 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इसके

[4] वाणिज्य–कर विभाग (63 इकाइयाँ); राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (839 इकाइयाँ); परिवहन विभाग (49 इकाइयाँ); उत्पाद विभाग (39 इकाइयाँ); निबंधन विभाग (140 इकाइयाँ); तथा खान एवं भूतत्व विभाग (56 इकाइयाँ)।

अलावा, अप्रैल और जूलाई 2017 के बीच 10 जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के कार्यालयों की नमूना लेखापरीक्षा भी की गई। छः विभागों में 2015–16 के दौरान ₹ 26,420.45 करोड़ राजस्व की वसूली की गई, जिसमें से लेखापरीक्षा किए गए 289 इकाइयों ने ₹ 22,968.93 करोड़ (87 प्रतिशत) की वसूली की।

लेखापरीक्षा ने 3,960 मामलों में कुल ₹ 4,550.08 करोड़ (लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 20 प्रतिशत) के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। विभागों ने 1,080 मामलों में ₹ 1,599.62 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1,320.17 करोड़ के 557 मामलें अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभागों ने ₹ 42.20 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2016 तथा अप्रैल 2018 के बीच) किया जिसमें से ₹ 29.63 करोड़ से संबंधित मामलें अप्रैल 2016 के बाद इंगित किये गये थे तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

1.8 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में ''**खनन प्राप्तियाँ–रॉयल्टी, फीस तथा किराया का आरोपण एवं संग्रहण**'' पर एक लेखापरीक्षा तथा 35 कंडिकाएँ शामिल हैं जिसमें ₹ 1,835.31 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

अधिकांश लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रकृति ऐसी हैं जो राज्य सरकार के विभागों की अन्य इकाइयों में, समरूप त्रुटियाँ/चूक, हो सकती हैं लेकिन नमूना जाँच में आच्छादित नहीं थे। इसलिए विभाग/सरकार सभी अन्य इकाइयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि वे अपेक्षा और नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 1,244.35 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार (अप्रैल 2018 तक) किया, जिसमें से ₹ 13.78 करोड़ की वसूली कर ली गई। शेष मामलों में वसूली सूचित (जून 2018) नहीं किया गया। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 में की गई है।

संबंधित विभागों ने पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आच्छादित लेखापरीक्षा अवलोकनों से संबंधित ₹ 359.00 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2016 तथा अप्रैल 2018 के बीच) किया।